प्राधिकरण बोर्ड की 174वीं बैठक हेतु विचारणीय विषयों की कार्य-सूची

तिथि :- 22 जून, 2022

समय :- अपराह्न 04.00 बजे

स्थान :- मसऊद सभागार, द्वितीय तल,
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 174वीं बैठक दिनांक 22.06.2022 में विचारणीय प्रस्तावों की विषय सूची

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 09.05.2022 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
02.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 09.05.2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	06
03.	अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–11 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	11
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 173वीं बैठक दिनांक 09 मई, 2022 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनाक 09.05.2022 का कार्यवृत्त दिनांक 11.05.2022 को समस्त मा0 सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति /सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक 09.05.2022 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 173वीं बैठक दिनांक 09 मई, 2022 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **173वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री रंजन कुमार, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

उपस्थितिः–

01.	श्री अक्षय त्रिपाठी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
02.	श्री राजेश पाण्डेय	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
03.	श्री ए0एस0 भाटी	महाप्रबन्धक, प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
04.	श्री यमुनाधर चौहान	सहायक नगर आयुक्त प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री कमलेश प्रसाद त्रिपाठी	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
06.	सुश्री स्मिता निगम	नगर नियोजक प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
07.	श्रीमती रेखा श्रीवास्तव	सहायक आयुक्त, प्रतिनिधि–संयुक्त/अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
08.	श्री अनुपम श्रीवास्तव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि–महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।
09.	श्री राम कृष्ण यादव	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10.	श्री राघवराम तिवारी	पार्षद/सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थितिः–

11.	श्री पवन कुमार गंगवार	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री दीपक सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री जहीरूद्दीन	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री अमित राठौर	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री राम शंकर	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	श्री शशिभूषण पाठक	तहसीलदार, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	श्री माधवेश कुमार	उपसचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

मद सं0	विषय	निर्णय
173/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.12.2021 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
173/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.12.2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
173/3	वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविक आय–व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 का प्रस्तावित आय–व्ययक के स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्व–सम्मति से प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2021–22 का वास्तविक आय–व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रस्तावित आय–व्ययक, जिसमें आय रू 1321.02 करोड़ तथा व्यय रू0 1067.36 करोड़ के प्राविधान को अनुमोदित किया गया।

173/4	प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा विभाग में आउटसोर्सिंग सेवाप्रदाता के माध्यम से प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाकार को आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	**सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा विभाग में प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाकार को नियमानुसार जेम पोर्टल से आउटसोर्सिंग के माध्यम से आबद्ध किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।**
173/5	मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम-औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या-36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम-औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में पुनः परीक्षण कर प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेखों (गजट, ले-आउट आदि) सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
173/6	विधान सभा की मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या-4/385-एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का पुनः परीक्षण किये जाने व ले-आउट परिवर्तन से प्रभावित हुए अन्य भूखण्डों के पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
173/7	बसन्तकुंज योजना, सेक्टर-डी में नियोजित पुलिस थाने के भूखण्ड को नर्सिंग होम क्रिया/प्रयोजन में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उक्त भूखण्ड को व्यवसायिक के रूप में पुनर्नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।
173/8	रिहाफ-ए-आम योजना स्थित समूह आवास के भूखण्ड में से नर्सिंग होम (क्षेत्रफल 1500.00 वर्गमी0) के रूप में तलपट मानचित्र में अंकित/परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
173/9	प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या-सीपी-89 व सीपी-90, विराज खण्ड, गोमती नगर योजना, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सम्पत्ति विभाग की आवंटन पत्रावलियों का परीक्षण कर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
173/10	प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या-केबी-32 एवं केबी-33, सेक्टर-बी, कानपुर रोड योजना, लखनऊ संलग्न	सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में सम्पत्ति विभाग की दोनों पत्रावलियाँ प्रस्तुत की गई। विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृति किये जाने के संबंध में।	04
173/11	भूखण्ड सं0–148ए, इण्डिस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा रोड, लखनऊ का भू–उपयोग औद्योगिक से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा विस्तृत परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
173/12	उ0प्र0 शासन की हाई–टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
173/13	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों मे निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स ओमेक्स लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
173/14	उ0प्र0 शासन की हाई–टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 एवं तलपट मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
173/15	सी0जी0 सिटी (चकगंजरिया) योजना में विभिन्न भू–उपयोग के भूखण्डों की दरों को फ्रीज किये जाने के निर्णय दिनांक 15.12.2021 को समाप्त/निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अनुपूरक विषय

अनु0वि0 173/01	स्व0 श्री श्रीराम कश्यप, बेलदार की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि को इनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनु0वि0 173/02	श्री हरि प्रसाद, प्लम्बर की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जोन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनु0वि0 173/03	मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116/2014 एवं 637/2018 से आच्छादित नमामि गंग योजना में डीपीआर पल्युशन अबेटमेंट ऑफ रिवर गोमती लखनऊ (फेज–3) विचरण हेतु लखनऊ नगर में नये विकसित नालों के डायवर्जन हेतु एसपीएस के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनु0वि0 173/04	कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर में प्रभावित आवंटियों को माह अप्रैल 2021 से मई 2021 तक के समय अवधि को शून्य मानकार गणना किये जाने के सम्बन्ध में।	**सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि केस–टू–केस प्रकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाय तथा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण श्री विवेक सिंह एवं श्रीमती रीता सिंह, आवंटित फ्लैट संख्या–एसयू/2053 /बी–2, सरयू अपार्टमेन्ट, गोमती नगर विस्तार के सापेक्ष प्रस्तानुसार गणना किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।**

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

(अक्षय त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

<u>अनुमोदित</u>

(रंजन कुमार)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषयः— लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 173वीं बैठक दिनांक 09 मई, 2022 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.12.2021 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
अनुपालन	नोट किया गया।
विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.12.2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
अनुपालन :	नोट किया गया।
विषय संख्या : 3	वित्तीय वर्ष 2021—22 के वास्तविक आय—व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2022—23 का प्रस्तावित आय—व्ययक के स्वीकृति के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्व—सम्मति से प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2021 —22 का वास्तविक आय—व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2022—23 के प्रस्तावित आय—व्ययक, जिसमें आय रू 1321.02 करोड़ तथा व्यय रू0 1067.36 करोड़ के प्राविधान को अनुमोदित किया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्या : 4	प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा विभाग में आउटसोर्सिंग सेवाप्रदाता के माध्यम से प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाकार को आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा विभाग में प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाकार को नियमानुसार जेम पोर्टल से आउटसोर्सिंग के माध्यम से आबद्ध किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों को आबद्ध किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्या : 5	मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.190 हे0 स्थित ग्राम—औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मा0 अंकुश समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बाबत अनार्जित खसरा संख्या—36 क्षेत्रफल 0.

190 हे0 स्थित ग्राम–औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में पुनः परीक्षण कर प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेखों (गजट, ले–आउट आदि) सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अनुपालन प्रक्रियाधीन है।

विषय संख्या : 6 विधान सभा की मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर–4 के अन्तर्गत समायोजित भूखण्ड संख्या–4/385–एस, सक्षम स्तर से अनुमोदित न होने के कारण समायोजन निरस्त कर जमा धनराशि ब्याज सहित वापस करने का निर्णय तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा लिया जा चुका है, अतः आवंटी के पक्ष में आवंटन को पुनर्जीवित कर समायोजन को वैध करते हुए निबन्धन की कार्यवाही करने अथवा आवंटी की जमा धनराशि, धनराशि वापसी की तिथि को प्रचलित आर0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर पर ब्याज सहित वापस करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का पुनः परीक्षण किये जाने व ले–आउट परिवर्तन से प्रभावित हुए अन्य भूखण्डों के पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अनुपालन प्रक्रियाधीन है।

विषय संख्या : 7 बसन्तकुंज योजना, सेक्टर–डी में नियोजित पुलिस थाने के भूखण्ड को नर्सिंग होम क्रिया/प्रयोजन में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उक्त भूखण्ड को व्यवसायिक के रूप में पुनर्नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में बसन्तकुंज योजना, सेक्टर–डी में नियोजित पुलिस थाने के भूखण्ड को व्यवसायिक भूखण्ड में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में जन–सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना का प्रारूप प्राधिकरण के पत्र संख्या–978/मु0न0नि0/2022 दिनांक 10.06.2022 के माध्यम से जनसम्पर्क अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 8 रिहाफ–ए–आम योजना स्थित समूह आवास के भूखण्ड में से नर्सिंग होम (क्षेत्रफल 1500.00 वर्गमी0) के रूप में तलपट मानचित्र में अंकित/परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में रिहाफ–ए–आम योजना स्थित समूह आवास के भूखण्ड में से नर्सिंग होम (क्षेत्रफल 1500.00 वर्गमी0) के रूप में तलपट मानचित्र में अंकित/परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में जन–सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना का प्रारूप प्राधिकरण के पत्र संख्या–974/मु0न0नि0/2022 दिनांक 09.06.2022 के माध्यम से जनसम्पर्क अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 9 प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या–सीपी–89 व सीपी–90, विराज खण्ड, गोमती नगर योजना, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सम्पत्ति विभाग की आवंटन पत्रावलियों का परीक्षण कर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–888/अ0अ0मा0सेल/2022 दिनांक 03.06.2022 के माध्यम से सम्पत्ति विभाग को आवंटन संबंधी पत्रावलियों के परीक्षण हेतु पत्रावली उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 10 प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या–केबी–32 एवं केबी–33, सेक्टर–बी, कानपुर रोड योजना, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में सम्पत्ति विभाग की दोनों पत्रावलियाँ प्रस्तुत की गई। विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–887/ए0ए0मा0सेल/2022 दिनांक 03.06.2022 के माध्यम से प्रतिबन्धों की शर्तों की साथ दो एकीकृत भूखण्ड शुल्क जमा कराये जाने के सम्बन्ध में पक्ष को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 11 भूखण्ड सं0–148ए, इण्डिस्ट्रियल एरिया योजना, तालकटोरा रोड, लखनऊ का भू–उपयोग औद्योगिक से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा विस्तृत परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–977/सचिव/सी0टी0पी0/2022 दिनांक 10.06.2022 के माध्यम से विस्तृत परीक्षण कर अभिमत सहित आख्या उपलब्ध

कराये जाने हेतु पत्र विधि परामर्शी, प्रभारी अधिकारी–ट्रस्ट एवं अधिशासी अभियन्ता, जोन–7 को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 12 उ0प्र0 शासन की हाई–टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में वांछित अभिलेख एवं संशोधित डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये जाने के संबंध में पत्र संख्या–3192/EE/HTIG/22 दिनांक 20.05.2022 पक्ष को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 13 उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों मे निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स ओमेक्स लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में वांछित अभिलेख, संशोधित तलपट मानचित्र एवं भू–स्वामित्व के अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के संबंध में पत्र संख्या–1550/EE/HTIG/22 दिनांक 20.05.2022 पक्ष को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 14 उ0प्र0 शासन की हाई–टेक टाउनशिप नीति के अधीन चयनित मेसर्स ओमेक्स गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 एवं तलपट मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में वांछित अभिलेख, तलपट मानचित्र एवं संशोधित डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये जाने के संबंध में पत्र संख्या–3191/EE/HTIG/22 दिनांक 20.05.2022 पक्ष को पत्र प्रेषित किया गया है।

विषय संख्या : 15 सी0जी0 सिटी (चकगंजरिया) योजना में विभिन्न भू–उपयोग के भूखण्डों की दरों को फ्रीज किये जाने के निर्णय दिनांक 15.12.2021 को समाप्त/निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत

योजना में भूखण्डों की दरों को डी–फ्रीज कर पुनरीक्षित किया जा रहा है। दरें पुनरीक्षित होने के पश्चात् भूखण्डों को ई–ऑक्शन से विक्रय हेतु प्रस्तावित किया जायेगा।

अनु0वि0सं0 : 01 स्व0 श्री श्रीराम कश्यप, बेलदार की सेवाकाल के दौरान चिकित्सा पर व्यय धनराशि को इनकी पत्नी को प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

अनु0वि0सं0 : 02 श्री हरि प्रसाद, प्लम्बर की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जोन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

अनु0वि0सं0 : 03 मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–116/2014 एवं 637/2018 से आच्छादित नमामि गंग योजना में डीपीआर पल्युशन अबेटमेंट ऑफ रिवर गोमती लखनऊ (फेज–3) विचरण हेतु लखनऊ नगर में नये विकसित नालों के डायवर्जन हेतु एसपीएस के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–968/सचिव/सी0टी0पी0/2022 दिनांक 03.06.2022 के माध्यम से पत्र मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित किया गया है।

अनु0वि0सं0 : 04 कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर में प्रभावित आवंटियों को माह अप्रैल 2021 से मई 2021 तक के समय अवधि को शून्य मानकार गणना किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि केस–टू–केस प्रकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाय तथा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण श्री विवेक सिंह एवं श्रीमती रीता सिंह, आवंटित फ्लैट संख्या–एसयू/2053/बी–2, सरयू अपार्टमेन्ट, गोमती नगर विस्तार के सापेक्ष प्रस्तानुसार गणना किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

अनुपालन : बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

विषयः अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 11 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की स्वीकृति प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव।

<u>आख्याः</u>

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या–33/अमृत–महायोजना/शासकीय समिति/स.नि.(के)/2021–22 दि0 20.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित शासकीय समिति की बैठक दिनांक 27.11.2021 के कार्यवृत्त के अनुसार समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) को लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–11 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

तदक्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–11 के प्रस्तर–1 में निम्न प्राविधान हैः–

''किसी योजना को अन्तिम रूप से तैयार करने और अनुमोदन हेतु राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व प्राधिकरण योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा और उसका प्रकाशन करेगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराएगा एवं एक नोटिस ऐसे प्रारूप और रीति से प्रकाशित करेगा जो तन्निमित निर्मित विनियमों द्वारा विहित की जाये एवं किसी भी व्यक्ति से उस नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति एवं सुझाव को आमंत्रित करेगा।''

उपर्युक्त के कम में जनसामान्य से लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) पर 01 माह की अवधि में आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव–उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही जी0आई0एस0 आधारित लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–11 के प्रस्तर–1 के अनुसार जनसामान्य से लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) पर 01 माह की अवधि में आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

3086/C.T.P/22
25/05/2022

टेलीफोन नं–0522–7106828
E Mail :- ctcpup@gmail.com

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी. / 1–ए–वी 5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

पत्रांकः 33 /अमृत–महायोजना / शासकीय समिति / स.नि.(के) / 2021–22, दिनांक 20/05/2022

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
2. उपाध्यक्ष,
   लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. अधिशासी निदेशक,
   आवास बन्धु, उ.प्र., लखनऊ
4. मुख्य / वरिष्ठ नगर नियोजक,
   लखनऊ विकास प्राधिकरण।
5. मुख्य अभियन्ता,
   लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. निदेशक,
   आवास बन्धु, उ.प्र.।
7. श्री एन.आर. वर्मा, (तकनीकी सलाहकार)
   आवास बन्धु, उ.प्र.।
8. श्री जी.एस. गोयल, (सलाहकार)
   आवास बन्धु, उ.प्र.।
9. प्रधानाचार्य,
   राजकीय आर्किटेक्चर कालेज,
   लखनऊ।

विषयः **लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2021 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में सम्पन्न हुई शासकीय समिति की बैठक के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आवास एव शहरी नियोजन अनुभाग–3 उ.प्र शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 26 / 2021 / 2737 / आठ–3–21 –06महा. / 2014 दिनांक 22 सितम्बर 2021 द्वारा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित शासकीय समिति की बैठक दिनांक 27.11.2021 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) का परीक्षण किया गया।

सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
20/05/2022
(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक /
नोडल अधिकारी / सदस्य संयोजक

APN
20/5/2022

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, सचिव / अध्यक्ष, शासकीय समिति, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सम्बन्धित, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सम्बन्धित कन्सल्टैण्ट को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

श्री सूर्यकुमार

26/5/2022
A.P.A.

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक /
नोडल अधिकारी / सदस्य संयोजक

लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.11.2021 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में आयोजित शासकीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–संलग्न सूची के अनुसार।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ.प्र. शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–26/2021/2737/आठ–3–21–06महा./2014 दिनांक 22.09.2021 में दिए गये निर्देशों के कम में लखनऊ विकास क्षेत्र की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रारूप महायोजना–2031 का प्रारूप महायोजना बनाये जाने से सम्बन्धित अनुबन्ध में वर्णित प्रकिया के अनुसार समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण में वर्तमान में प्रभावी महायोजना के प्रस्तावों का ***नवीन जी.आई.एस. बेस–मैप पर महायोजना प्रस्तावों के कन्वर्जन का*** मूल्यांकन तथा प्रस्तावों के विरूद्ध हुए विचलन, नगर के विकास का वर्तमान स्वरूप एवं विकास की सम्भावित क्षमताओं का आंकलन, वर्ष 2031 हेतु जनसंख्या प्रक्षेपण, आर्थिक आधार तथा रोजगार सृजन की वर्तमान स्थिति व भावी प्रक्षेपण, विद्यमान सामुदायिक सुविधाओं का अध्ययन व इस हेतु भावी प्रक्षेपण, विद्यमान व प्रस्तावित आधारभूत संरचना एवं मनोरंजन व खुले स्थल का आंकलन के साथ–साथ सरकार द्वारा जारी की गयी विभिन्न नीतियों के अनुपालन आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

(1) प्रारूप महायोजना संरचना के सम्बन्ध में निम्न सामान्य सुझाव/निर्देश दिये गये:–

(1.1) समक्ष स्तर से स्वीकृत ले–आउट/तलपट मानचित्रों पर महायोजना के प्रस्ताव एवं जोनिंग रेगुलेन्शन्स के प्राविधान लागू नही होंगे।

(1.2) प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत लेआउट में महायोजना प्रस्तावो के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले–आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगें।

(1.3) वर्तमान में प्रभावी महायोजना के विरूद्ध हुए निर्माण/विचलन का मूल्यांकन करते समय यदि प्रभावी महायोजना के ऐसे प्रस्तावित भू–उपयोग जिन्हें भविष्य में विकसित किया जाना सम्भव प्रतीत नही होता एवं उनमें किसी प्रकार का संशोधन स्थानीय विकास/आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनहित व नियोजन की दृष्टि से उचित पाया जाता है तो ऐसी दशा में समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे सभी भू–उपयोग एवं उनके संशोधित प्रस्ताव सम्पूर्ण औचित्य सहित अलग से तैयार कर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायेगें। बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त प्रारूप महायोजना की प्रदर्शनी के समय ऐसे संशोधनों हेतु अलग मानचित्र तैयार कर प्रारूप महायोजना के साथ आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रदर्शित किया जाये जिनपर आपत्ति/सुझावों हेतु गठित समिति की संस्तुति पर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली प्रारूप महायोजना में समायोजित किया जाए।

(2) लखनऊ विकास क्षेत्र की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रारूप महायोजना–2031 के प्रस्तुतीकरण में दिए गये प्रस्तावों पर समिति द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्रदान किये गये:–

(2.1) लखनऊ विकास क्षेत्र मे निर्मित हो रही रिंग रोड के संरेखण के दृष्टिगत प्रभावी महायोजना मे रायबरेली मार्ग के पश्चिम दिशा में प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप के आन्तरिक मार्गों को भी प्रस्ताव में दर्शाया गया है जिसे हटाये जाने का सुझाव दिया गया।

(2.2) मोहान मार्ग पर दोनो तरफ ग्रीन बेल्ट के उपरान्त हाई–वे फैसेलिटी जोन प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया। हाईवे फैसेलिटी जोन हेतु प्रारूप जोनिंग रेगुलेशन्स संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक–1) जिस पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाना होगा।

(2.3) उपरोक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली कियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू–आच्छादन, तल क्षेत्रानुपात (FAR), आदि के प्राविधानों को लागू किये जाने का सुझाव दिया गया।

(2.4) एन.एच.ए.आई. द्वारा विकसित की जा रही रिंग रोड के संरेखण को महायोजना मे समाहित किये जाने एवं पूर्व में प्रस्तावित संरेखण को आन्तरिक मार्ग के रूप में प्रस्तावित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।

समिति द्वारा दिये गये सुझावों के आलोक में लखनऊ महायोजना–2031(प्रारूप) को लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड मे प्रस्तुत करते हुए उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–11 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अनुमोदित

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक/
सदस्य संयोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।

(अजय चौहान)
सचिव/अध्यक्ष
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।